## सएकाती <br> गजट, <br> जतनाँल

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1. खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)
देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर. 2005 ई0
कार्तिक 09, 1927 शक सम्बत्
उत्तरांचल शासन
दिधायी एवं संसदीय कार्य विमाग
संख्या $600 /$ विधायी एव संसदीय कार्य $/ 2005$
देहरादून. 31 अद्टूर्, 2005

## अधिसूचना <br> बिवेिध

"भारत का संविधान" के अनुप्ठंद 200 के अधीन नहाथहिय राज्यपाल ने उतरांचल विघान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वाविद्यालया विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अवटूवर, 2005 को अनुपति प्रदान की और दह उतांधल का अधिनियम संख्या 23 . सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ दू अपिसूचना द्वारा प्रकाशित किया ज्ञाता है।

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005
(अधिनियम संख्या 23. पर्ष 2005)
उत्तरांचल मुक्त विश्वविधालय नाम से ज्ञात विश्ववविद्यालय स्थपित करने हेत
अधिनियम
भारत ग्रणराज्य के छपनटें बर्ष में हत्तरंचल वियान सगा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अर्धनियमंत हो :-

## अध्याय-1 <br> प्रारम्भिक

1. (1) इस अविनियम का संक्षिप्त नाम छत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय सीक्षप चाम दोर अधिनियमे 2005 है।
(2) यह उस तारीख को प्रषृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
"शिभाषणए 2 2. इस अधिनियम में, जब सक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "विद्या परिषद" और "कार्य परिषद" से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्यापरिषद और कार्य परिषद अभिप्रेत हैं:
(ख) "मान्यता होर्ड" से विश्वविद्यालय का मान्यता बोई अभिपेत है;
(ग) "महाषिचालय" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशोषाधिकार प्राप्त महाविघालय या अन्य चीकणिक संस्था अमिप्रेत है:
(घ) 'दूर रिक्षा पद्धति' से संचार के किसी माध्यम से यधा प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण. पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमीनार. सम्पर्क कार्यद्रम अधवा ऐसे किसी दो या - अधिक साधनों के सयोजन द्वारा रिक्षा देने की प्रणाली अभिप्रेत है;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" से समय-समय पर यधासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसुचित जातियों. अनुसुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े कनां के लिय आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तरांचल राज्य से यथा प्रदृत) की अनुसूची-1 में विनिद्विष्ट नागरिलों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;
(®) "योजना बोई" से विश्वविधालय का योजना बोर्ड उनिभेत हैं:
(ज) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित्र अभिधेता है:
(झा) "विद्यालय" से विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत हैं;
(ज) "परिनियमों, अध्यादेशाँ और विनियमों" से विश्वविधालय के क्रमशः परिनिखम. अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत्र हैं:
(c) "विद्यार्शा" से विश्रीवेधालय का विद्यार्थी अभिपेत है और इसके अन्तरात ऐसा कोई व्यकित की है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाव्यक्रन में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है:
(ठ) "अध्ययन केन्द्र" से विधारियों को सलाह देने या परामर्श देने या खनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्ववियालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्र्र अनिमेतेत है;
(ड) "झेत्रीय कंन्द्र" से प्रदेश में स्थापित जं्यवन होत्रों के कायाँ में समन्वय/निर्राइण तथा अन्य कायाँ में सम्पादन के लिये विश्ववियालय द्वारा स्थापित या अनुरहिन क्षेत्रीय केन्द्र अभिप्रेत हैं:
(ढ) "रिक्षक" से काई ऐसा व्यक्ति अभिभ्रेत है जो दिश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिये विश्वविद्यलय में रिक्षण देने के लिये लियोजित हो और इसके अन्तर्गत महानिध्धालय के प्राचार्य या कंदेशाक नी है:
(त) "विश्वविद्यालय" से घरा 3 के उर्धीन स्थापित उत्रांचल भुक्त विश्वषिधालय अभिप्रेत हैं:
(थ) "कर्मवारी" से दिश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसमें शिक्षक तथा विश्वविदालय का अन्य शैष्रणिक बर्नघiरापृन्द भी सम्भिलित है;
(द) "कुलाधिर्यात तथा कुलपति' से विश्वविधालय के क्रमशः कुलापिपरित तथा कुलति अमिप्रेत हैं।

## विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

3. (1) "उतरांघल मुक्त विश्वविघालय" के नाम से एक विश्वविहालय की स्थापना की जायेगी।
(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्हानी में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर. जिन्हें वह उचित समबे, महाविदालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।
(3) कुलपति, कार्य परिषद एवं विध्य परिषद के सदस्यों की हैसियत से विश्वविघालय में तल्तमय में पदघारक. उत्तरांचल भुक्त विश्वविद्यालय के गाम से एक निगमित निकाय का गवन करेगे।
(4) विश्वविद्यालय का शाश्वता उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा (सील) होरी तथा वह उक्त नाम से दाद लायेगा एवं उस पर वाद लाया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय. दूर शिशता पद्धीि के माध्यम से जिसमे किसी संचार प्रांचोगिका का उपयोग भी है, अघिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृदि करेगा और अपने क्रियाकलापों को सचालित करने में अनुसूची-1 में विर्निर्दिष्ट उददेशयों का सम्यक् घ्यान रखेगा।
5. दिश्वरेद्यालय की निम्नलिखित शक्तियों होगी. अर्षात :-

विश्वरिर्टालय की
स्थाभना एव
निगयन

## विश्वबिद्यालः के

 उद्यशसिश्वविषातय की राितायां
(1) ज्ञान प्रौहोरिकी वृतियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में चैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं. शिक्षण हेतु व्यदस्था करना तथा अनुसंघान और प्रायोजित अनुसंधान की व्यवस्था करना;
(II) उपाधियों. उपाधि-पत्रों, प्रमागा-पघ्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाट्यक्रमों को योजित एवं विहित करना:
(iii) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकधित रीति के उनुकार, पर्षीकाषों का आवोजन तथा ऐसे व्यकितयों को, लिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्वक्रन का अध्ययन किया है या अनुसंधान किज्या है, उपाधिया. उपाधि-पत्रो अधवा अन्य शै्षणणिक विशिष्टतार्ये या मान्यतार्यं प्रदान करना;
(iv) विहित रीति के अनुसार. मानद उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना:
(0) विश्वविधालय के शैष्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का प्रायोजन करने की रीति का लिर्घारण करना;
(7) शिक्षण देने के लिये या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिये या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाषों का संचालन करने के लिये जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिये मार्गदर्शन, उनकी रुपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतिकरण मी है, और छात्रों द्वारा किये गय कार्य के मूल्यांकन के लिये. आचार्य. उपाचार्य. माध्यापक से सम्बन्धित पद और अन्य हीकणिक पद संस्थित करना आर ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य तौकणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
(vii) अन्च विश्वविद्यालयों और उच्व शिक्षा संस्थाओं, वृत्रिक निकायों और संगठनों के साध ऐसे प्रयोणनों के लिये, जो विश्वषिघालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग माप्त करना:
(viI) अध्येतवृति, छात्रवृत्ति. पुरस्कार औए बोग्यता की मान्यता के लिये ऐसे अन्य पारितोििक संरिथत करना और देना, जो विश्वविधालय ठीक समझे;
(ix) ऐसे होत्रीय केनद्ध स्थापित करना और बनाये रखना जो विशवविटातय द्वारा समय-समय पर अवघरित किये जायें:
(X) विहित रीति से अध्यदन केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना या मान्यता देना:
(XI) शंक्षणिक सामती जिसके अन्तर्गत फिलें, कसंट. टेप, विडियोकैसेट और अथ्म सॉफ्टवेयर हैं, तैयार करने के लिये व्यदरथा करना;
(XII) शिक्षों, पाठ्यलेखकों मूल्यांककों और अन्य पौक्षणिक कमंचारीवृन्द के लिये पुनश्ष्या पाठ्यकग, कायंशालाये. पिचार गोष्ठियां और अन्य कर्राक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना:
(17I) उन्य विश्वविचालयों. संस्थाओं या छच्चतर रिका के अन्य संस्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवलियों को, चाहे पूर्णतः या सागतः, वि₹्रावेछालय में परीक्षायों या अध्ययन की अर्वधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेगा.
(XIV) शैदिक पौषोपिवी और सम्बध्धित विष्मयों में, अनुसंघन, फ्रायोजित अनुसंधाग तथा विकासा के लिए व्यवस्था करना:
(0V) प्रशारकीय, लिपिक वर्गींय तथा अन्य आवश्यक पदो का सृजन करना तथा सन पर निवुक्तिवां करना;
(XV) रिश्वविध्यालय के भयोजन हैतु संदान. दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पति सहित केसी भी चल या अचल सम्पति का उपार्जन. धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;
(0VI) विश्वविघ्घालय के म्रयोजनों हैतु राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिमूति पर या अन्घथा, अप्र पर धन प्राप्त करना:
(XVII)संपिदाये करना. उनको कार्यन्वित, परिवर्तित अधवा निरस्त करना;
(XIX) अध्यादेशों द्वारी अधिकधित कीस और अन्य म्रभारों की मांय एवं प्राप्ति करना:
(XX) छात्रों और सभी प्रवयों के कर्मचरियों के बीच जनुशासन की व्यवरथा करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की से वा शारों कों. जिनके अन्तर्यत उनकी आवरण संडिता मी हैं. अधिकधित करना;
(XXI) सविदा पर या अन्यथः अम्यागत आचायों, प्रतिष्टित आचार्यों, परार्शर्शियों, अच्येताओं. विद्धानों, कलाकारों, पाठ्यकम लेखकों और ऐसे अन्य ध्यक्तितों के जो विश्वविकालय के उददेश्यों की अरिंवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;
(XXII) अन्य विश्वविधालयो. संस्थाओं या संगढनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वधिघालय के रिक्षको के रूप में ऐसे निबन्धनो और शर्तों पर जो आध्यादेश द्वारा अधिकधित की जाय, मान्यता लेना:
(xxii) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये ₹त्व विनिदिष्ट करना बिनके अन्तर्गत परीक्षा. मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति हैं,
(XXIV) करंचार्शयो के साधारण स्दास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना;
(XXV) परिशेयमों में विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रारिथति प्रदान करना;
(XXVI) ऐसे सरी कार्य करना जो विश्वविधालय को ऐसी सरी या किन्हीं एक्तितों के जो आदश्यक हैं, प्रयोग से आनुवंगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संपवर्तन में सहायक हों।
6. तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी जात के होते हुए मी, विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के अयोग में, अधिकारिता सम्पूर्ण उतरांचल में होगी।
7. (1) विश्वविद्यालय, वगॉँ और पन्थों का विवाए किये बिना, समी व्यक्तियों के लेये चाहे वह स्ती हो या पुरुष खुला होगा और विश्वषियालव के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को विश्यविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसरें कोई अन्य पद घारण करने या विश्वपिघालय के छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विरोणधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लेये को \& धी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाया, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।
(2) उपघारा 1 की कोई बात विश्वविद्चालय को स्नियों या समाज के कमजाए वर्गों के व्यक्तियों, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछ्डे वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रषेश के लिये विशेष उपबन्ध करने से निवारेत करने वाली नही समझौ जायेगी।

## अध्याय-3

निरीक्षण तथा जांच
8. (4) उपघारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाषिपति को किसी ऐसे य्यकि या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय

खाद्तया का प्रदेशिक म्रयोग

विश्वविलालय का समी वर्गों और पन्धों के लिये सूला होना

## निरीक्षण तथा

आांच द्वारा अनुरक्षित किसी महाविधालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके मवन. पुस्तकालय. प्रयोगशाला. कर्मशला और उपर्कर भी हैं, और विश्वविद्यालय या ऐसे मछाविधालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीकाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रो के प्रश्षासन और विएँ से सम्बन्चित किरी विषय के संबंध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।
(2) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के उपने आशय की सूचना दिश्वविधालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की पाप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय में, ऐसी जांच में, यद्धि आदश्यक समझ़ तो सम्मिलत होने का अधिकार होगा।
(3) विश्वषिधालय द्वारा किये गये अम्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् कुलाघिपति ऐसे निरीक्षण या जांच करायेंगे जैसी कि उपधारा (2) में निरिष्ट है।
(4) कुलाषपषि द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निरीक्षण या जाँच की जानी है तो विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिमि नियुक्त करने का अधिकार होगा. जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में व्यक्तिगत रूप से उपस्यित होने तथा सुले जाने का अधिकार होगा।
(5) कुलाधिपरि ऐसे निरीकण या जांच के परिणाम में अपने विचार और उस पर कार्यदाही किये जाने के संदर्म में, जो वह कहना चाहें और कुलपाति को सम्बोधित कर सकेंगे। कुलाधिपति द्वारा सम्बोधित पत्र को कुलपति इस निरीक्षण अथवा जांच के परिणाम को तुरन्त कार्य परिषद् को संसूचित करेंगे ऊर कुलाधिपति के विचार तथा परामर्श पर की जाने वाली कार्याही के सम्ब्य में बतारेंगे।
(6) कार्य परिषद्, कुलपी के माध्यम से कूलाधिपहि को निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गयी या किये जाने के लिए पस्तावित कार्यवाही के बारे में सहचित करेंगे।
(7) यदि विश्वविपालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय में कुलाधिपीि के समाधानप्रद रूप में कार्यवही नहीं करते हैं तो कुलाधिपति विश्वविद्यालन के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी मी प्रत्यावेदन व स्पर्टीकरण प्र विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जो वह उचित समझते हैं, जारी कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन निदेशां को मानने के लिये बाध्य होंगे।
(8) इस धारा के पूर्वगारी उपबन्यों पर प्रतिकूल प्रमाप ठाले बिना. कुलाधिपfि. लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाहियों को निष्मभायी कर सकता है. जो कि अधिनियम. परिनियमों या अध्यादेशों के संगत न हों :

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व वह विश्वविद्यालय से यह कारण दशित करने के लिए कहेगा कि इस अकार का आदेश क्यों न किया जाय और यदि समुचित समय के अन्तर्गत कोई युक्तियुक्त कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।
(9) कुलाधिपति की ऐसी अन्य ₹क्तियां होगी जो परिनियगों द्वारा ििनिर्दिष्ट की जायें।

## अध्याय-4

## विश्वविदालय के अधिकारी

विश्वदिद्यालय के उपिकारी

क्लनधिपति
9. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे :-
(क) कुलाधिपति:
(ख) कुलपसि:
(ग) निदेशक्र:
(ज) कुलसचिव:
(छ) वित्त अधिकारी:
(च) परीक्षा नियन्त्रक: और
(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनिवमां द्वारा विश्ववियालय के अधिकारी घोषित किये जायें।
10. (1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विस्वविध्यलय का मधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षात समारोह का सभापतित्व करेगा।
(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।
(3) कुलपती का यह कतथ्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बचित ऐसी जानकारी या अभिलंख. जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।
(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इसा अधिनियम या परितियनो द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायं।
11. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालेक वैलनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से. उस अवधि के लिये और उन उपलध्धियों और अन्य सेना शताँ पर. जैसी कि विहित की जायें, नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु विश्रवविद्यालय का अ्रथम कुलपरी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह तीन बर्ष की खवधि के लिए पद धारण करेगा।
(2) कुलपी विश्वविद्यालय का प्रधान औक्षणिक व कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविध्यालय $\dot{क}$ सभी प्राधिकारियों के विनिश्वयों को कार्यनित्वित करेगा।
(3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे तिष्य पर स्वयं द्वरा कृत कार्यवाही को ऐस अधिकारी या प्राधिकारी को संतूधित करेगा :

परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये शी तो वह विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकता है जिसका उस विष्य पर विनिस्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविध्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यधित हो, ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्वय से संसूधित किये जाने के नले दिनों के भीतर कार्य परिष्ट् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि कार्य परिषद्. कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।
(4) यदि कुलपति यह समझते हैं कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम. परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के मीतर अपने विनिश्चय का पुर्धिलोकन करने के लिये कह रुकणा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरिलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उकत अवधि के भीतर उसके द्वारा काई विनिश्वय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निद्धिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु संबंधित प्राधिकारी का विनिश्चय. यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलायिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे विनिश्चय के पुर्विसोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।
(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जा परिनियमों या अध्यादेश द्वारा विहित किते जायें।
12. प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति. ऐसी रीति से और ऐसी उपलघ्धियों और सेवा निटेणक की अन्य शत्रों पर. जरसी कि परिनियमो द्वारा विहित की जायें, की जायेगी।
13. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीसि से और ऐसी उपलब्घियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्वां का पालन करेगा जा परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
(2) कलराथिव को विश्वविय्यालय की ओर से करार करने ओर अभिलेखों को अमिप्रमाणित करने का अधिकार होगा।
14. वित्त अध्रिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलध्यियों और सेवा

बुतसिव

कित बतिक्यारी की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
15. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलध्वियां, अन्य प्राधिकारी शक्तियां और कर्तथ्य ऐसे होंगे. जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

विश्ववियालय क प्रपिक्करी कार्य परिषद
16. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-
(क) कार्य परिषद्:
(ख) विद्या परिषद्;
(ग) योजना बोर्ड;
(घ) अध्ययन केन्द्र:
(छ) वित्त समिति; और
(च) ऐसे अन्य भाधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वाष्टालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।
17. (1) कार्य परिषद्. विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।
(2) कार्य परिषद् का गठन. उसके सदस्यों की पदावधि और उसकां शक्तितां एवं कृर्य ऐसे होंगे. जो दिवित किये जायें। पर अवधारित करे।
(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कार्य ऐसे होंग जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। विश्वविद्यालय का प्रघान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देरयो में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को निर्देशित करने के लिये मी उत्तरदायी होगा।
(2) योजना बोर्ड का गठन. उसके सदस्यो की पदावध्यि और उनकी शक्तिया एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। इस अधिनियम. परिनियनों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हैए. विश्वविद्यालय के नीतर विद्या. शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रसने के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्वों का पालन करें जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरापित किये जायें।
(2) विधा परिषद् का गठन. ठसके सदस्सां की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
19. (1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोह गठित किया जायेगा जो
21. विस्त समिति का गठन. शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जा परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।
22. अन्य प्राषिक्राियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शव्रियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विधित किये जायें।

$$
\begin{aligned}
& \text { अध्याय-6 } \\
& \text { विश्वविद्यालय निधि }
\end{aligned}
$$

23. विश्वविद्यालय द्वारा निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जायेगी।
24. विस्वनिधासय निधि निम्यांक्त तरोकों से पास घन से निर्मित होगी:-
(क) कन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी निगयित निकाय द्षाश म्रदत ॠण. अंशदान अथवा अनुदान:
(ख) न्यास, वसीगत, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि काई हो:
(ग) विश्वविधालय की समी सोतों से आय जिसमें फीस तथा प्रभार से खाय भी सम्मिलिल हैं;
(घ) विश्वविद्यालय द्वारा पाप्व अन्य सभी रशश।
25. विएवविध्यलय लिि को, कार्य परिष्द् के विवेक पर मारतित रिजर्व क्ष क्ष अधिनियम. 1934 ( 1534 का 2) सें यधा पर्वाधित किसी अनुसुघित बैंक में रखा जायेगा अथवा भारतीय न्यास अधिनियम. 1882 (1682 का 2) द्वारा प्रधिद्युत प्रतिभूतियों स विनिहित किखा जायेगा।
26. झस घारा की कोष्ट बात, किसी न्यास के मशासन के लिए विश्वपिघालग द्वारा या उसकी ओर से निष्पदित चास की घोषणा दारा विश्वदिदालय द्वारा स्वक्रार की गयी या उस पर अधिरोपित किसी बाव्यता पर किसी म्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी।
27. विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उददेश्य की पूर्ति हैतु प्रयुदत की जायेगी:-
(क) इस अधिनियम व परिनियमों छथा अष्यादेश तथा विनियमो के प्रयोजनो के लिए विश्वविघालय द्वारा लिये गये कणों का नुमतान करने के

हद्धेक्य लिनके लिए दिख्यदिद्यानय निमि का उपयोग किया जायेग लिए:
(ख) विश्वविध्यालयों की उसके विभागों, केतीय केन्र्रो, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्रावासों की सम्पहि बनाये रखने के लिए:
(ग) विश्ववियालय निधि की सम्परीक्षा की लागत का भुगतन करने के लिए:
(घ) किसी साद या कार्यकाडी जिसका विश्वविचालय एक पक्षकाए है. के व्यद के लिए:
(*) विश्वविद्यालय उसके विभागों, केत्रीय केन्द्रो. अध्ययन केन्द्रो कार्यरत शिदकों एवं रिक्षणेत्तर कर्मंचारीवृत्द के देतन व भर्तो का मुगतान तथा इ्रा अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रयोजनों को अग्रसर करने व अन्य लाभांशों का भुगतान करने के लिए:
(च) इस अधिनियम, पतिनियमों, अध्यादेशों विनित्कों के किसी उपदल्ध के अनुसरण में प्राधिकारियों के सदस्यों के यात्रा भतों ब अन्य भतों का गुगतान करने के लिखि:
(छ) विद्यार्थियों को अव्येतृृत्वों. खात्रवृतियों तथा अन्य पुस्कारों का मुगतान करने के लिए;
(ii) इस अधिनियन और परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विलियों के उपबन्चों के अवुपालन में विश्वषियालय द्वारा आगत अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए:
(झ) ऐसे अन्य खर्चो का गुणतान जिनका उल्चेख पूर्यवर्ती खण्डों कों नहीं किया गया परन्तु जिन्हें विर्वपिदालय के मयोजनों के लिए अच्च किया जाना कार्य पशिष्द आपर्यक समसती हो।

व्यद सीमा से यदिक न होणा खर्य जगवोंद पर क्षिया जाना

पशेनेयम

परिनियम कौसे बनाये जायेंके
28. कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किसी दर्ष में आवर्ती एवं अनावरी व्यय की सीमा से अधिक्ष व्यय विश्वदिद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
29. कार्य परिषद् की पूर्वनुमति के बिना बजट में उप्वन्धित के सिवाय कोई व्यय विश्वाविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

अध्याय-7
परिनियम, अध्यादेश और विनियम
30. इस अधिनियम के उपदन्धों के अध्धीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से संखिधित किसी विष्य के लिये उपवन्ध किया जा सकेगा, जो विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबन्घ किये जायेंगे :-
(क) कुलर्पति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि. उपलीष्यवा और सेवा की अन्य शतँ तथा शक्तितां और कृत्य जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा:
(ख) निदेशकों, क्ललतिष. वित अधिकतरी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्त की रीति, उपलब्यियां और उनकी सेवा की शत्ं, शक्तिया तथा कृत्य. जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;
(ग) कार्य परेषद् और विश्वविद्यालया के अन्य आधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां व राक्तियों तथा कृत्य. जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;
(घ) अघ्यापकों तथा विश्वविद्यालयों के अन्य कर्मधारियो की नियुक्ति. उनको उपलधियां तथा उनक्का सेषा की अन्य शत्ं:
(ख) विश्वविघातय के अप्वापकों आर अन्य कर्मचारियों की सेता में उ्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;
(घ) विश्ववियालय के किसी अधिकारी वा प्राधिकारी की कार्यदाही के विरुद्ध विश्वषिद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मैचरी ता छात्न द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये किसी आवेदन के संबंध में प्रक्रिया. जिसके अनर्गत वह समय है, जिसके 中ीतर ऐसी अपील या पुर्विलोक्न के लिये आवेदन किया जायेगा;
(B) विश्वविद्यालय के अध्यापकों. कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के भव्व विवादों के निपट्टरे के लिये प्रक्रिया;
(ज) अन्व समी विषय जो अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारत उपदधिता किये जाने हैं या किये जायें;
(झ) फीतिपादन व्यदस्था में दूरस्थ सिषा परिषद् के सिद्धातों का अनुपालन किया जायेया।
31. (1) विश्दविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर बनाये जायेगे।
(2) कार्य परिषद् नये और अलिरिक्ता परिनियम समय-समय पर बना सक्दीगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु कार्य पर्षिष्द विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रमावित करने वाला कोई परिनियम ता तक नहीं बनायेगी. उसका संशोघन नहीं करेगी या उसका निरमन नही करेगी जाद तक ऐसे भाधिकारी को प्रस्थापित परिदर्तनों पर कपनी राय विहित इप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विवार न किया यया हो।
(3) पर्येक नया परिनियम या किसी परिनियन मे परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कलाधिपति को अनुभोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुपति दे सकेगा या अपनी अनुर्मति विधारित कर सकेगा या उस पर अगतर विच्चार करने के लिये कार्य परिषद् को भेज सदेगा।
(4) कोई नया परिलियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोपन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा. जब तक कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुर्मति न दे दी गयी हो।
(5) पूर्ववर्ती उपघाराओं में किसी वात के होते हुए मी कुलाधिपति इस उधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
(6) पूर्दवर्वी उपधाराओं में किसी सात के होते हुए नी कुलाधिपति अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंघ में कार्य परिषद को निर्देश दे सकेगा कि परिलियम में उपदन्य किया जाय और यदि कार्य परिष्द ऐसे निद्रेश की प्राप्ति के साठ दिन के मीतर ऐसे निर्देश को कार्यनिव्वित करने में असमर्ध है तो कुलाधिपीत, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्धता के लिये संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उनका यथोचित रूप में सशोधन कर सकेगा।
32. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए. अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे. जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा. अध्यादेशां द्वारा उपबन्य किया जाना हो या किये जायें;
(2) उप धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव उाले बिना अध्यदेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात:-
(क) छात्रों का प्रवेश पाठ्यक्रम और उनके लिए फीसा, उपाधियों. डिप्लोभा. प्रमाण-पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से सम्बनित अर्हताओं. अध्येतावृतियों. पारितोषकों और वैसी ही अन्य ब्गतों की मंजूरी के लिए ज्ञतें.
(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तगत परीक्षकों के निखन्धन और उनकी नियुक्ति मी है; और
(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे. और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जंसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें. कार्य परिषद् द्वारा किसी मी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित कियें जा सकेंगे।
33. विश्वविध्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम. परिनियमों या आघ्यादेशों द्वारा उपषन्घ नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जौसी परिनियमों द्वारा विशित की जायं, ऐसे विनियम बना सकेंगे. जो इस अधिनियम. परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

> अध्याय-8

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा
34. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिष्द के निदेशों के अधीन तैयार क्षिया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होगे।
(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कूलपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

विनिषम

यापफल रतियेदल
(3) उपघाचा (1) के अधीन तैयाश किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार की ीी प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे यभाशक्य शीघ राज्य विधान ताना के समझ्क रखदायेगी।

केता ली लेखा परीद्या
©म थारिदों की क्षेवा साँ
 अविकरण

नीविए प्र पेशन निधिय
35. (1) विश्वविधालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पन्न, कार्य परिषद के निर्देशों के अध्यदीन तैयार किये आयेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्दें कुलाधिपहि इस निभोशत प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिय के अन्तरालो पर. उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।
(2) वार्णिक लेखा औँर तुलन-पत्र की एक यति उस पस लेखा परीक्षा को प्रतिवेदन के सम्प्रेक्षणों के साथ कुलाधिपति को. कार्य परिषद्, यदि कोई हो. के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सित्बर से पूर्ष प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखा परीषा प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को नी प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाश्रक्ष शीध राज्य विधान समा के समक्ष रखदाएगी।
(3) वार्षिक लेखा पर कुलधिपति द्वारा किए गए सम्येक्षण कार्य परिषद के घ्यान में लाए जायेंगे।
36. (1) घारा के खण्छ (ख), (ग). (घ), (छ) तथा (व) में विनिदिस्ट कोई अधिकारी विश्वविघलल के किसी घन या सम्पत्ति की हानि, दुर्य्य या दुरुपयोजन के लिये सधिभार का देनदार होगा. यदि ऐसी हानि. दुर्ज्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेका या अवच्यार पे प्रत्यक्ष पर्रुणामस्वरूप हो।
(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्य्यय या दुरुपयोजन में अन्वलिर्हित घनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी जरिनियनो द्वारा विहित की जाये।
अध्याय-9

कर्मचारिवों की सेवा शर्तों
37. (1) इस जधिनियम द्याता उसके अधीन कन्यथा उपदौधित के निवाय. दिश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक मी हैं, लिखित संविदा के आधार पर नियुस्त किया जा सकेगा तथा ऐसी संविदा. हस अधिनियम, पर्रानियनiं एव अध्यदेशेशों से असमत नहीं होगी।
(2) उपघारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविघ्घालय में अस्तुल की जानी होगी तथा उसकी एक प्रति संबधित कर्मचारी को दी जाएगी।
30. (1) विश्वदिध्यालय और किसी कर्गचरी था अघ्यापक के बीच धारा- 36 में निद्धिए्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद, किसी भी पक्ष के अनुरोघ पर माव्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्य परिषद द्वारा नाम निद्दिष्ट एक सदस्य. संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम लिर्दिए एक सदस्प और कुलाघिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।
(2) ऐसा फ्रत्येक निदेश माध्यस्थम और सूलः अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत इस घारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जावेगा।
39. (1) विश्दविद्यालय अपने कर्मंधारियों एवं आध्यापकों के कायद के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शत्लों के अचीन रहते हुए, जैसी परिनिवनों द्वारा विहित की जाय, ऐसी भविष्य एवं पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा. जैसी वृ उचित समझे।
(2) जहां ऐसी किसी मविज्प या पेंशन निधि का इ्स प्रकाए गठनृ किया गया हो. वहां राज्य सरकार यह घोषिल कर सकेगी कि मविध्य निधि अधिनेयम. 1925 के उपबन्य ऐसी निधि पर इस प्रकार लाभू होंगे मानो वह सरकारी चदिष्य निधि हो।

$$
\begin{gathered}
\text { अध्याय-10 } \\
\text { प्रकीर्ण }
\end{gathered}
$$

40. यदि यह मश्न उठता है क्रि का है व्यकित विश्वविद्यातय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुकत किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो यह विषय कुलाधिपित को निर्दिष्ट किया जापेगा, जिसका हस पर विनिश्चय अन्किभ होगा।
41. विश्वविधालव के किसी प्रांचिकारं या उन्य निकाय के पदेन सहर्यों से मिन्न सदस्यों में सभी आकस्तिक रिक्तियां यथाशीघ सुविधानुतार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा मरी जायेंगी. जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुष्ता निर्वाचित या सहयाजित व्यकित ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट उवदि के लिये होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह मरता है, सदस्य रहता।
42. विश्वषिध्रालय के किसी प्राधिकरी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्वंकाी उसके सदस्यों में कोई रिक्ता या रिक्तियाँ होने के कारण कदिधिमान्च नहीं होगी।
43. कोई विवाद या अन्य विधिक कार्षवाही, किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम का परिनियमों या अध्यदेश के उपषन्धों में से किसी अनुसरण में सद्माबपूर्वक की गयी है या की जाने के लिये तात्पयर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।
44. (1) विश्पविद्यालय उतनी सख्या में कर्मयारियों, जिस्के जन्तर्गत रौक्षणिक कर्मचारीवृन्द की हैं, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये को नियुक्त करेगा। विशवविधालय के कर्गचारेयों की सेवा के निबन्धन और शर्तो ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायं।
(2) विश्वविद्यालय के विमिन्न श्रेणी के कर्मचरियों को देय वेतन तथा मत्ते ऐस होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जाये।
अध्याय-11

विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध
45. (1) यदि इस अधिनियम के उपनों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार आधिसूच्चित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्घ कर सकेगी. जो इस अदिणियम के उपबन्यो से असगते हो और जो उस करिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन परीत हैं।
(2) उपघारा (1) के उघीन कोई आदेश इस अधिनियन के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
46. (1) इस अधिनियम एवं परिनियनों में किसी बात के होते हुए भी-
(क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचित तथा प्रथम वित अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा शतें परिलियमो द्वारा विनिदिष्ट रीति से शासित होगी :
परन्तु प्रथम कुलपि परिनेयनों में विनिर्दिए रीति से टूसरी अवधि के लिये नियुक्ति का पात्र होगा।
(ख) प्रथम कार्य परिष्द में पन्द्रह से अन्निक सदस्य होगे जो कुलाधिजीि द्वारा नगम निर्दिष्ट किये जायेंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद घारण करेंगे
(ग) प्रथम योजना बोड़ में दस से अनधिक सदस्य होंगे जो भुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वई की अवधि के लिये पद घारण करेंगे।

## विल्विष्यालय

युधिकीरिजों जो निकायों स्यक के बते से विलेक्ष

आ रिकितबों का मः जान:

## शिक्तियो के बरण 

 प्राप्किशियो ख़। निकार्यो की खरंबही क्वा ज्ञवियिमान्व न होनीलद्याषपूषं की गड काषब10 \$ लिखे संर्षण

विश्बवेचानयक बर्मबारीवृद्य

## क टेमाइ यो "aो

 दूर क्ये को तक्तिरुख्यकणांता
उपबन्य
(2) योजना बोरे. इस अधिनियम द्वारा उस प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विया परिषद की शक्तियों का प्रयोग तथ तक करेा तब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्यों के अयीन विया परिषद् का गठन नरी किया जाता और उन चक्तियो का प्रयोग करते हूर. योजना बोड ऐसे तदर्त्य को सहयोजित कर सकेगा. जो वह विनिश्चित करे।

परिनियमा.
आघादेयों और विनियमां का खजपन में भ्रकाशित किया जाना
47. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम. अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।
(2) इस अधिनियम के अघीन बनाया मया प्रत्येक परिनियम. अघ्वादेश या विचियम. उसके दनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ राज्य विधान समा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिलिघम. 1004 (उTरांवल रज्य में यधा पवृत्त) की घारा 23 की की उपघारा (1) के उपद्धन्च उसी प्रकार लागू होगे जैसे वे किसी उसराचल अभिनियम के अभीन बनाये गये नियमों के सम्बन्य में लागू होते है. यदि राज्य विघान सचाू यधार्थिति, परिनियमो. अध्यादेशों वा विनियर्मो में कोई उपान्तरण करने के लिए सह्ठमत ठोती है या उन्हे अनुभोदित करने के लिए सहभत नहीं होरी है तो ऐसा कोई उपान्तरण या नि: प्रभान परिनियमो, अध्यादेशों या विलियमों के अधीन पहले की गयी किसी कात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा।

$$
\begin{gathered}
\text { अनुसूची } \\
\text { (धारा-\& देखिये) } \\
\text { विश्वविद्यालय के उद्देश्य }
\end{gathered}
$$

1. विशवविधालय राज्य के विकास मे रघनात्मक भूमिका निमाने के लिए जो राज्य की समृद परम्पराओं पर आधारित हो राज्य की जनता की संस्कृति औँ उसके मानवीय संखाधनों की उन्नही और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, परशिक्षण और विस्तारण के माध्लन से. प्रयास करेगा। इन उद्देश्या की प्रापि के लिए वह-
(क) नियोजन की आवश्यकताअं से सम्बच्धित तथा देश की अर्थव्यवरथा कें. उसके प्राकृतिक और मानवीय साघनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिपोमा और प्रमाण-पन्न पाठ्यक्रमों कों प्रोत्साहिए करेगा और उन्हें विविध पकार का बनायेगा;
(ब) जनता के बे भागो और विशिष्टतया सुविधारहित समूद को. जैसे कि
 श्रमजीवी जनता. घरेखू महिलायें और ऐसे वयस्क्र है. जों विभिन्न क्षेतो भे आध्यमन के आव्यम के ज्ञान बदाने वे आणात करने की इस्खा रखतं हैं. उच्यतर शिसा तक उनकी पह्ठुंच के लिये उपबध करेगा:
(ग) शीयता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में छान के अर्जन का सावर्घन करेगा और मानव प्रयास के समी बेत्रो मे नव-परिवर्तन. अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और छशलता बढ़ाने के लिये लगारार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा:
(घ) घान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करेने और उसे विशिष्टया पोत्साहित कर्ने की दृधि से विधा के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिष्रण, नामाक्न की पातसा. प्रवेश की आयु परीदाओं के स्लनन और कार्यक्रमों कै प्रवर्तन के सम्बन्य में सुनिश्चय और निद्धाध विश्वपिलालय स्टर की रिक्षा की नई प्रणाली के लिए उपद्ध क्ध करेग;
(च) आपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्दती का उपलयक करदे और विशवविघालवों द्वारा विकसित पाठों और अन्य सॉफ्टवेयर का य्यापक रूप से उपयोग करके गण्वत्ता के अनरण को और शिक्षण कर्मधारीवृन्द के विनियय को प्रोत्साहित करके शैंधणिक पद्धति के सुधार में राह्योग देगा:
(च) द्रेश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में घनकी गुणषत्ता में सूधार करके जलता के लिखे उनकी उपलबता में वृद्धि करके शिषा और प्रशिक्षण के लिये उपवन्ध करेशा.
(छ) ऐसे कार्यकलपों या संस्थाओं के लिये अपेकित शिसकों के प्रशिषण लिये उपबन्ध या प्रब्य करेगा;
(ज) अध्ययन के वथांधित सातकोत्र पा््यक्रमों की तिये उपबन्य करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा,
(झ) अपने छात्रों के बिये परामर्श एवं भागदर्णन के लिए उयदन्ध करेगा; और
(अ) अपनी नीति एदं कार्यकमों के माध्यम से रुष्टीय एकता द मानव व्यक्तित्व के समन्दित दिकास में वृद्धि करेगा।
(2) विश्वविधालय दूर और अनुवर्ती शिसा के विविध माध्यमों से उक्त उद्वेखय की पू氏ि के लिये प्रयास करेगा और उस्वतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविधालयो और संस्थाओं की सहपोग से कृत्य करेगा और नदीनतम ब्नान का और नई रिक्षण प्राद्योगिकी का ऐसी उच्द गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिये खो समकालीन आदश्यकलाओं के अनुरूप हो, पूर्ण उपयोगा करेगा।

आझा से, यू सी० घ्यागी. सचिद।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the pubication of The Utaranchal Open Universty Bin, 2005 (Utaranchal Adhinyam Sankhya 23 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governot on October 27, 2005.

No. 608Nidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, October 31, 2005

## NOTIFICATION

Miscellaneous
THE UTTARANCHAL OPEN UNVERSTTY ACT, 2005
(Act No. 23 of 2005)
To establish a University to be known as Uttaranchal Open University

## Ans

Act
Be it enected in the Fity sixthyear of the Repubtic of Indie by the Utaranchal Legislative Assembly as follows:-

## CHAPTER-

Prellminary

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Open University Act, 2005.

3hor wid six Comitramman
(2) It shaticome into force on such cate as the State Covermant may by nothication in the official gazette, appoint.
2. In this Act (uniess the context otherwise requires) $\cdots$
(a) "Academic Council" and "Executive Council" mean respectively the Academic Council and the Executive Council of the University,
(b) "Board of Recogntion" means the Board of Recognition of the University;
(c) "College" means a college or other academic Institutions established or maintained by, or admitted to the Privileges of the University:
(d) "Distance education system" means the system of imparting education through any means of communication, such as broadcasting. telecasting correspondence courses, seminars, contact programmes or the combination of any wo or more of such means;
(e) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University:
(f) "Other Backward Classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttaranchal Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (as applicable in the State of Uttaranchal) as amended from time to time;
(9) "Planning Board" means the Flanning Board of the University:
(h) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;
(1) "School" means a school of studies of the University;

0 "Statutes", "Ordinances" and "Regutations" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;
(k) "Student" means a student of the University, and includes any person who has enrolled himself for pursuing any course of study of the University;
(1) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students;
(m) "Regional Centre" means a centre estabished or maintained by the Universty for the purpose of coordinating and supervising the work of study centres anywhere in the State ano for periorming such other functions:
(n) "Teacher" means a person employed for imparting instruction in the University of for giving guidance or rendering assistence to students for pursuing any course of study of the University and includes a Principal or Director of a College:
(0) "University" means the Uttaranchal Open University established under Section 3 of this Act;
(p) "Employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other academic staff of the University;
(c) "Chancetlor \& Vice Chancellor" mean respectively the Chancelior and Vice Chancellor of the University.

## CHAPTER-11

## The University and its Objects

3. (1) There shall be established a University by the name of "The Utaranchal Open University".
(2) The headquarters of the University shall be at Haldwani (Naintal) and it may establish or maintain colleges or Study Centres at such other places in the State as it may deem fit.
(3) The Vice Chancellor and the members of the Executive Council and Academic Councif for the time being holding office as such in the University, shall constitute a body corporate by the name of the Uttaranchal Open Universty.
(4) The University shall have perpetual succession and common seal and shall sue and be sued by the said name.
4. The Unversity shall promote disseminetion of learning and knowledge through distance education systems including the use of any communication technology to provide opportunities for higher education to a large segment of the population and shall, in organizing its activities, have due regard to the objects specified in the first schedule.

## 5. The University shall have the follwing powers, namely: $m$

11 To provide for instruction in such branches of knowiedge. technology, vocations and professions as the Universty may determine from time to time and to make provision tor research as well as sponsored research;
(17) To plan and prescribe courses of study for degrees, diplomas certificates or for any other purposes;
(ili) To hold examinations and conter degrees diplomas, centicates or other academic distinctions or recognitions on persons who have pursued a course of study or conducted researoh in the manner laid down by the Statutes and Ordinances;
(iv) To conter honorary degrees or other distinctions in manner prescribed;
M Todetermine the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organsed:
(N) To institute protessorships, reacerships, lecturerships and other academic positions necessary for imparting instruction or for preparing educational material or for conducting other academic activities, including guldance, designing and delivery of courses and evaluation of the work done by the students, and to appoint persons to such protessorships, readerships, lecturerships and other academic positions;
(M) Toco-operate with, and seek the co-operation of other universities and institution of higher learning, professional bodies and organisations for such purposes as the University considers necessary:
(11) To mstitute and award fellowships, scholarships. prizes and such other awards for recognition of merit as the University may deem fit;
(0) To establish and maintain such Regional Centres, as may be determined by the University from time to time;

0 Toestablish, maintain or recognize Sudy Centres in the manner prescribed:
(D) To provide for the preparation of instructional materials, inciuding films, cassettes, tapes, video cassettes and other software;
(XII) To organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic stati;
(Xilif To recognize examinations of, or periods of study whether in full or part, at other unlversities, institutions or other places of higher leaming as equivalents to examinations or periods of study in the University, and to withdraw such recognition at any time;
(XIV) To make provisions for research, sponsored research and development in education technology and related metters;
(XV) To create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;
(XI) To receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, maintain and dispose off any property movable or immovable, including Trust and Government property, for the purposes of the University:
(XVII) To borrow, with the approval of the State Govermment whether on the securty of the property of the University or ctherwise, money for the purposes of the University;
(XVIII) To enter into, carry out, vary or cancel contracts;
(X) To demand and receive such fees and other charges as may be leid down by the Ordiences;
$\infty \times$ To provide, control and maintain discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of sevice of such employees, including their codes of conduct;
( 001 Toappoint, either on contract or otherwise, visiting professors, emeritus protessors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other person who may contribute to the advancement of the objects of the University;
(oxll To recognize persons working in other Universities, institutions or organizations as teachers of the University on such terms and conditions as may be laid down by the Ordinances;
(0071) To determine standards and specify conditions for the admission of students to courses of study of the University which may include examination, evaluation and any other methods of testing:
(XXIV) To make arrangements for the promotion of the general health and welfare of the employees;
(XV) To confer autonomous status on a college or Regional Centre in the manner prescribed in the statutes;
(XXVI) To do all such acis as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University as are necessary and conducive to the promotion of all or any of the Objects of the University:

Temitoris
exercise of powers
6. Nowithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the University shall in the exercise of its powers have Jurisdiction over the State of Utaranchal.
7. (1) The University shall be open to persons of either sex irrespective of class, race, caste or of creed, and it shall not be lawfulfor the University to acopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University, or to hoid any other ofice therein or admitted as a student in the University or to graduate there at, or to enjoy or exercise any privilege thereot.
(2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of person belonging to the weaker sections of the society, and in particular of persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other backward classes.

## CHAPTER-III

## Inspection and Inquiry

8. (1) Subject to the provisions of sub-section 3 \& 4 (The Chancellor shall have the right to cause any inspection to be made, Sy such person or persons as he may direct, of the University or of any Regional Centres or Study Centre(s) maintained by the Unversity including its buildings, library, laboratories and equipments, and also of the examinations instructions and other work conducted or done by the University and to cause an enquiry to be made in the lke manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University,
(2) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University, shall on receipts of such notice, have the right to make, within thiry days from the date of receipts of the notice or such other period as the Chancellor may determine, such representations to him as it may consider necessary.
(3) Ater considering the representations, if any, made by the University, the Cnancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in subsection (2).
(4) Where an inspection or inquiry has been caused to be made by the person appointed by the Chancellor, the University shell be entitled to appoint a representative, who shall have the right to appear in person and to be heard on such inspection or inquiry.
(5) The Chancellor may address the Vice Chancellor with reference to the results of such inspection or inquiry together wh such views and advice with regard to the action to be taken thereon as the Chancellor may be pleased to offer and on receipt of the address made by the Chancellor, the Vice Chancellor shall communicate forthwith to the Executive Council the results of the inspection or inquiry and the views of the Chancellor and the advice tendered by him upon the action to be taken thereon.
(6) The Executive Council shall communicate through the Vice Chancellor to the Chancellor such action, as it proposes to take or has been taken by it upon the results of such inspection or inquiry.
(7) I authorities of the University does not, within reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the authorities of the University issue such directions as he may think fit and the authorities of the University shall be bound to comply with such direction.
(B) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor, may, by an order in writing, annul any proceedings of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances :

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and, if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.
(9) The Chancellor shall have such other powers as may be specified by the Statutes.

## Otticers of the University

Officers of the Unversity
9. The following shall be the officers of the University :-
(a) The Chancellor;
(b) The Vice Chancellor;
(c) The Director:
(d) The Registrar;
(e) The Finance Officer;
(f) The Examination Controller, and
(g) Such other Officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.
10. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall when present peside over the convocation of the University.
(2) Every proposal for the conferment of any honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
(3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to furnish such informtion or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.
(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.
11. (1) The Vice Chancellor shali be a whole-time sataried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in such manner, for such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed by the Statutes:

Provided that the first Vice Chancellor of the University shall be appointed by the State Govt. and shall hold office for a term of three years.
(2) The Vice Chancellor shall be the Principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over the aftairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.
(3) The Vice Chancellor may, it he is of the opinion that immediate actions necessary on any mater, exercise any power conferred on any officer or authority of the University by or under this Act and shall report to such officer or authorty the action taken by him on such matter :

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final :

Provided further that any person In the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice Chancellor under this sub-section shall have the right to appeai against suct action to the Executive Council within Ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice Chancellor.
(4) The Vice-Chancellor, it he is of the opinion that any decision of any authority is beyond the powers of the authority conterred by the provisions of this Act. Statutes or Ordinances or that any decision taken is not in the interests of the University, may ask the authority concerned to review its cecision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review is decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be reterfed to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that the decision of the authority concerned shall remain suspended surng the period of review of such decision by the authority or the Chancellor, as the ase may be, under this sub-secion.
(5) The Vice Chancellor shall exercise such other powers and perform such ther humtions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.
12. Every Director shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such :unctions, as may be prescribed by the Statutes.
13. (1) Registrar shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of services, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed by the Statutes.
(2) The Registrar shall have the power to enter into and sign, agreements, authenticate records on behalf of the University.
14. The Finance Otficer, shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform

The Finance Othicer such functions as may be prescribed by the Statutes.
15. The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other aticers of the University shall be such as may be prescribed by the Statues.

## CHAPTER-V

## Authorities of the University

16. The following shall be authorities of the University :-
(a) The Executive Council:
(b) The Academic Council;
(c) The Planning Board;
(d) The Schools of Studies;
(e) The Finance Committee;
(1) Such other authorities as may be deciared by the Statutes to be authonties of the University.
17. (1) The Executive Council shall be the pnncipal executive body of the Unversity.
(2) The constitution of the Executive Counci, the term of office of its memvers and its powers and functions shall be such as may be prescribed.
18. (1) The Academic Councl shall be the principal academic body of the Unversity and shall be sublect to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinancas, have the control and general regulation of, and be responsible for, maintenance of standards of learning, education, instniction, evalueton and examination within the Unversity and shell exercise such other powers and perform such other functons as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
(2) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be such as may be prescribed by the Statutes.
19. (1) There shall be constituted a Planning Board of the University which snall be the principal planning body of the University and shall also be responsible for the monitoring of the developments of the University on the lines indicated in the objects of the University.
(2) The Constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be as may be prescribed by the Statutes.
ine Acadenic Councia
[^0]Bard

The somous of छuCdW

Thatmanco
commites
ctuk
Astronties

Eskidichmun
at Unversily
"und
Sonswumen ot

- Mn


## uesacta 10

wimen जnwtrivy fwe n放 de moplod
20. (1) There shall be such number of Schools of Studies as the Unversity may determine from time to time.
(2) The constitution, powers and functions of the Schools of Studies shall be such as may be prescribed by the Statutes.
21. The constitutron, powers and functions of Finance Committee shall be such as may be prescribed by the Statutes.
22. The constitution, powers and functions of the other authorites which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

## CHAPTER-VI

## University Fund

25. The University shall establish a Fund to be called the University Fund:-
26. The following shall form part of or be paid into the University Fund;
(a) Any loan, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;
(b) Trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any:
(c) The income of the Unversity from all sources including income from lees and charges:
(d) All other sums receved by the University.
27. The Unversity Fund shall be kept in any Scheduled Bank as delned in the Reserve Bank of india Act, 1934 (No. 2 of 1834) or invested in securties authorised by the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882), at the discretion of the Exacutve Council
28. Nothing in this section shall in any way affect any oblgation accepted by or imposed upon the University by any declaration of trust executed by or on behalt of the University for the administration of any trust.
29. The University Fund shall be applicable to the following purposes:--
(a) To the repayment of debts ncurred by the Universty tor the purposes of the Act and the Statutes, and the Ordinances and Fegutatons made hereunder:
b) To the upkeep of the property of the University including the deparments, regional centres, study centres, and the hosiels:
(c) To the payment of cost of audit of the University Fund;
(d) To the expenses of any sult or proceedings to which University is a party:
(e) To the payment of salarles and allowances of the teaching and non-traaching staft of the University. Regional Centres, Study Centres and Departments maintained by the University and in furtherance of the puposes of this Act, Statutes and Ordinances and Regulations made thereunder and to the payment of other benefits;
(1) To the payment of travelling and other allowances of the members of the authortues of the Unversity in pursuance of any provisions of this Act and the Statutes. Ordinances and Regulations;
(d) To the payment of fellowships, scholarships and other awards to the students:
(7) To the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder;
(1) To the payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expense for the purposes of the University.
30. No expense shall be incurred by the Universty in excess of the limits for sotal recurng and non-recurring expenditure for the year fixed by the Executive Council.
31. No expenditure other than that provided tor in the bucget shall be incurred by the Unversty without the previous approval of the Executive Council.

## CHAPTER-VII

## Statutes, Ordinances and Regulations

30 Subjeci to the provisions of this Act, the statutes may provide for all or any of the followng matters relating to the University and shall in particular provide tor
(a) The mamer of appointment of the Vice Chancellor, the term of his appointment, the emoluments and other conditions of his service and the powers and functions that may be exercised and performed by him;
(b) The mannor of appointment of Drectors, Registrars, Finance Officer and other officers, the emoluments and other conditions of in ur service and the powers and functions that may be exercise and performed by each of the officers;
(c) The constit won of the Executive Council and other authorities of the University, the terms of office of the members of such authorites and the powers and functions that may be exercised and nerfomed by such authorithes;
(0) The appoir tment of teachers and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service:
(e) The principlus governing the senionty of service of the leachers and other e mployees of the University;
if) The procedi re in retation to any appeal or application for review by any empi jyee or student of the Unversity against the action of any otfice or authority of the University, including the time within whicl such appeal or application for review shall be preferred or made:
(g) The procedure for the settement of disputes between the employees ur sludents of the University and the University;
(h) All other matt ys which by the Act are to be, or may be, provided by the Statu es.
(1) Distance Education Counci noms may be followed in delivery system.
31. (1) The first statutes of the University shal be made by the State

Expenditure no: to exceod the Lini

No Expenses without Approval

Provided that the Executive Council shall not make, or repeal any Statute affecting the status, powers or constitutions of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity to express its opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed has been considered by the Executive Council.
(3) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment of repea thereof shall requre the approval of the Chancellor, who may assent to it or withhold his assent thereon or remit it to the Executive Council tor further consideration.
(4) A new Statute or a Statute amending or repeaing an existing Statute shall not be valid uniess it has been assented to by the Chancellor in the light of observation if any made by him.
(5) Notwithstanding anything contained in the foregong sub-sections, the Chancellor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-secion (1) during the period of three years from the commencement of this Act.
(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may direct the Executive Council to make provisions in the Statutes m respect of any matter specffied by him, and it the Executive Council is unabie to mplement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may. atter considering the reasons, if any, communicated by the Executive Counciltor its inabilly to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.
32. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinance:
(2) Without prepudice to the generality of the provisions of sub-section(1). the Ordinance shall provide for the following matters, namely :-
(a) The admission of students, the courses of study and the fees thereof. the qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other courses, the conditions for the grant of fellowships, awaros and the like,
(b) The conduct of examinations, including the lems and conditions and appointment of examiners; and
(3) The first Ordinancde shall be made by Vice Chancellor with the prevous approval of the State Government and the Ordinances so made may be amended. repeated or added to at any tme by the Executive Council in the manner prescribed by the Starutes.
33. The authorities of the University may make Regutations consistent with this Act, the Stalutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Commitees, it any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances in such manner as may be prescribed by the Stautes.

## CHAPTER-VIII

## Annual Report and Accounts

34. (1) The amual repon of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fuftilment of its objects.
(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before such date as may be prescribed by the Statutes.
(3) A copy of the annual report, prepared under sub-section (1) shall also be submited to the State Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid betore the State Legislature.
35. (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be repared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Directors, Local Funds Accounts, Uttaranchal or by such person or persons as the Chancellor may authorize in this behall.
(2) A copy of the accounts and balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the Chancellor along with the observations, if any, of the Executive Council before the thirteenth of September every year. 'A copy of the accoutns together with audit report shall also be submitted to State Government, which shall, as soon as, may be, cause the same to be laid betore the State Legisiature:
(3) Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Councl, if any, on such observations, shall be submitted to the Chancellor.
36. (1) An officer specified in any of the clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of section 9 shall be liable to surcharges for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or mis-conduct.
(2) The procedure of surcharges and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed oy the Statutes.

## CHAPTER-X <br> Conditions of Services of Employees

37. (1) Except as otherwise provided by or under this Act every employee of the University inctuding a teacher of the University may be appointed under a written contract and such contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act. the Statutes and the Ordinances.
(2) The contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and ecopy of which shall be fumished to the employee concerned.
38. (1) Any dispute ansing out of a contract of employment reterred to in section 36 berween the University and an employee or a teacher shall, at the request of ether pary, be reterred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Exec utive Council, one member nominated by the employee or teacher concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.
(2) Every such refere ice shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this section within the meanings of Arbitration and Conciliations Act 1996.
39. (1) The University shall constitute for the beneft of the employees and teachers such provident or pension funds or provide such insurance schemes as it may aeem tit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.
(2) Where any provident or pension fund has been so constituted, the State Government may dectare tha the provisions of the Provident Funds Act, 1925 shall apply to such furds, as thatvere a Government Provident Funds.

## CHAPTER-X

## Miscellaneous

40. It any question ar ses as to whether any person has been duly elected or appointed as. Or is entitled to be, a member of any authority or other body of the Unwersity, the matter shall te reterred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Ccncitions of sevice of eri ployees

C sputes to the c msthumon of - authonties a wodies

Folling up od Catual Vacances

Procondings of Universify
 wocies not invandated by Vecences

Protection of action baken in good tath

Suat on tue Uniwatsy

Fower to
femove ditioutres

Trandelicual previsions
41. All the casual vacancies among the members other than ex-oticio members of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient. by the person or body, who appoints, elects, or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.
42. No act or proceedings of any authority or any other body of the University shall be invalldated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members.
43. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or empioyee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances.
44. (1) The University shall appoint such number of employees including academic stafl as may be sanctioned by the State Government from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.
(2) The salaries and allowances payble to various categories of employee of the Universily shall be such as may be determined by the State Government from time to time

## CHAPTER-XI

## Misceltaneous and Transitional Provisions

45. (1) It any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty
(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of wo years from the commencement of this Act.
46. (1) Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes--
(a) the first Vice Chancellor, the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the State Government and they shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes :

Provided that the first Vice Chancellor shall be eligible for appointment in the manner specified in the Statutes for another term:
(b) the Executive Council shall consist of not more than fitteen members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hoid office tor a term of three years; and
(c) the first Planning Board shall consist of not more than ten members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hoid office for a term of three years.
(2) The Planning Board shall, in addition to the powers and functions conterred on if by this Act, exercise the powers of the Academic Council until the Academic Council is constituted under the provisions of this Act and the Statuies, and in the exercise of such powers, the Planning Board may co-opt such members as it may decide.
47.(1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be pubished in the Otficial Gazette.
(2) Every Statutes, Oroinances or Regulations made under this Act, shall, as soon as, may, after it is made, be placed before the State Assembly and the provilons of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh Ceneral Clauses Act, 1804 (as applcable in the State of Uttaranchal) shall apply as they apply in respect of rutes made by the State Govemment under any Utaranchal Act. If the State Assembly agree in making any modification in the Statutes, Ordinances or Regulations or do not agree to approve the same, as the case may be. so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Statutes, Ordinances or Regutations.

## THE SCHEDULE

## (See Section 4)

## The Objects of the University

1. The Unversily shall endeavour through education, research, training and extension to play a positive role in the development of the State, and based on the toh hantage of the State io promote and advance the culture of the people of Utaranchal and its human resources and towards this end, it shal-
(a) strengthen and diversify the degree, diploma and centificate courses related to the needs of employment and necessary for buliding the economy of the country on the basis of its natural human resources;
(b) provide access to higher education for large segments of the population, and in panticular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, housewives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;
(c) promote acquisition of knowiedge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context or innovations, research and discovery in all fielos of human endeavours:
(d) provide an innovative system of University level education, flexble and open, in regard to method and pace of learning combination of courses, eligibility for enrolment age of entry, conduct of examination and operation of the programmes with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge;
(e) contribute to the improvement of the educational system by providing a non-tomal channel complementary to the formal system and encouraging transfer of credits and exchange of teaching staff by making wide use of texts and other software developed by the University;
(i) provide education and training in the various arts, crafts and skills of the country, raising their quality and improving their availabilisy to the people;
(g) provide or arrange training of teachers required for such activilies or institutions;
(h) provide suttable Post-graduate courses of study and promote research;

Statutes,
Ordinances and
Regulations to be Pudishacint the Offical
Qazette
(i) provide the counselling and guidance to its students; and
(1) promote national integration and the integral development of the human personality through iss policies and programmes.

The Unverstity shall strive to futil the above obiects by a diversily of moans of distance and continuing education, and shall function in co-operation with the exsting Universilies and institutions of higher leaming and make ful use of the latest scientic knowledge and new educational technology to offer a high qualty of education which matches contemporary needs.

By Order,
U. C. DHYANI, Secretary.


[^0]:    Tie Paming

